न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

R-195-I/2012

बी.एल.ए. प्राईवेट लिमि. द्वारा डायरेक्टर जतीश कुमार आ0 श्री भगवत प्रसाद कार्यालय ग्राम इमलिया, थाना व तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश)

------ पुर्नरीक्षणकर्ता

बनाम

डब्बल धानक आ0 श्री छिकौड़ी धानक,आयु 60 वर्ष निवासी चारगॉवखुर्द, थाना चीचली, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश)

------ उत्तरवादी

पुर्नरीक्षण अंतर्गत धारा 50(1) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

पुर्नरीक्षककर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार चीचली तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के न्यायालय के सीमांकन प्रकरण क्र.अ–12/2011–12 मौजा रीछई में पारित आदेश दिनांक 29/12/2011 से व्यथित होकर निम्नानुसार तथ्यों एवं आधारों पर पुर्नरीक्षण प्रस्तुत करता है –

पुर्नरीक्षण के तथ्य

(1) यह कि उत्तरवादी द्वारा न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय गाडरवारा को अपनी भूमि मौजा रीछई, नं.वं. 408, प.ह.नं. 82/59 रा.नि.मं. चीचली, तहसील गाडरवारा स्थित ख.नं. 27 रकवा 0.574 हे. भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अन्य व्यक्ति नन्ही बाई के साथ दिया था जिसमें माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के आदेशानुसार सीमांकन कराया गया जिसके पालन में आदेशानुसार गठित सीमांकन दल द्वारा उत्तरवादी की भूमि का मौके पर दिनांक 11/12/2011 एवं 12/12/2011 को सीमांकन किया गया जिसके पालन में सीमांकन दल जिसमें अधीक्षक भू अभिलेख श्री यू.एस.ठाकुर, राजस्व निरीक्षक चीचली श्री एस.एल.धानका, राजस्व निरीक्षक सांईखेड़ा श्री रामलोचन तिवारी, प.ह.नं. 82/59 श्री संदीप नामदेव, पटवारी भुवनलाल चौधरी एवं बैनी प्रसाद चौधरी द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 13/12/2011 को तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया।

(2) यह कि पुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा सीमांकन दल एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से आपत्ति पेश की गई जिस पर विचार किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29/12/2011 को आपत्ति निरस्त कर सीमांकन प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया गया जिसके अनुसार उत्तरवादी के स्वामित्व की भूमि के ख.नं. 27 के रकवा 0.360 हे. पर पुर्नरीक्षणकर्ता का अवैध अतिक्रमण बताया गया है जिससे व्यथित होकर पुर्नरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय में यह पुर्नरीक्षण निम्नानुसार आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है।

--2--

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-195-एक/12 **जिला** - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों। **सदस्य** **<u>अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा</u>**	